राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 231वीं बैठक दिनांक 30.05.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री ओम प्रकाश मीणा	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष एवं सदस्य
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री भास्कर ए सावंत	शासन सचिव,वित्त(बजट)विभाग,राज॰सरकार	सदस्य
4.	श्रीमती इन्दिरा	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
2.	श्री जी॰एस॰ बाघेला	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
3.	श्रीमती आरती बागोटिया	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
231.1	दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 230वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि। (कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ दिनांक 13.04.2016 को प्रेषित)	मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 01.04.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	Secretary
231.2	दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 230वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	संचालक मण्डल को मण्डल की 230वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना से अवगत कराया गया, जिसको नोट किया गया।	Secretary

231.3	नीलामी प्रक्रिया के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CRO
231.4	नीलामी में प्राप्त बिड प्रस्तावों की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CRO
231.5	मण्डल सेवा के वरिष्ठ लेखाधिकारी के 01 पद को उप वित्तीय सलाहकार में क्रमोन्नत किये जाने के निर्णय के पुनः परीक्षण बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् यह मत व्यक्त किया गया कि उप वित्तीय सलाहकार पद के महत्व एवं कार्यो की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारी द्वारा ही कार्य सम्पन्न किया जाना उचित है। चूँकि मण्डल में एक उप वित्तीय सलाहकार का पद पहले से ही स्वीकृत है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी पदस्थापित है । अतः अन्य पद की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को पुनः विचारार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
231.6	भूमि एवं विकास दर वर्ष 2016–17 निर्धारण के संबंध में।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन निर्मित आवासों का वर्तमान में विक्रय नहीं हो पा रहा है, उन आवासों की भूमि एवं विकास दर आगामी एक वर्ष (30.6.17) तक नहीं बढ़ाई जावे।	FA
231.7	मण्डल द्वारा चिन्हित यूटीआई/ एसबीआई म्यूचवल फण्ड योजनाओं में निवेश करने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।	मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई जिसमें सदस्यगण द्वारा निवेश संबंधी विकल्पों पर अलग–अलग मत व्यक्त किये गयें। कुछ सदस्यों ने सावधि जमाओं (F.Ds.) एवं म्यूचवल फण्ड (Debt Fund) में निवेश से होने वाली प्राप्तियों का विस्तृत विवरण चाहा।	FA

		अतः विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध विभिन्न निवेश योजनाओं तथा वित्तीय उत्पादों (Financial Products) एवं इनसे प्राप्त प्रतिफल/लाभांश का तुलनात्मक विश्लेषण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
231.8	मण्डल द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने के संबंध में।	बोर्ड में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यो एवं भविष्य में शुरू किये जाने वाले नये कार्यो के लिये आवश्यक वित्त की व्यवस्था ऋण लेकर करने का प्रस्ताव सैद्धान्तिक (In Principle) स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु बोर्ड की अगली बैठक में पूर्ण विवरण सहित यह बताया जाये कि बोर्ड को निर्माणाधीन एवं भावी योजनाओं के लिए ऋण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।	FA
231.9	कार्य समिति बैठक संख्या 01/2016–17 दिनांक 29.04.2016 के निर्णयों की पुष्टि बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	CE (HQ)

बैठक की कार्यवाही की शुरूआत में शासन सचिव, वित्त(बजट) के पद पर नव पदस्थापित श्री भास्कर ए. सावंत का राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में स्वागत किया गया तथा संचालक मण्डल द्वारा श्री सिद्धार्थ महाजन, निवर्तमान शासन सचिव, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार, जयपुर की राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल सदस्य के रूप में की गयी सराहनीय सेवाओं के लिये आभार व्यक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

चर्चा के दौरान निम्नांकित सुझाव भी दिये गये कि:–

1. भविष्य में भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही योजना प्रारम्भ की जावे एवं योजना प्रारम्भ करने के उपरान्त पंजीकरण करते समय ही निर्माण एवं आवंटन में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुये आवासों की सही कीमत का आंकलन कर लागत निर्धारित की जावे, जिससे बाद में आवासों की लागत में वृद्धि की समस्या उत्पन्न न हो।

2. पंजीकरण एवं पंजीकरण के पश्चात् रिफण्ड आदि की समस्याओं के समाधान हेतु पंजीकरण राशि में आवश्यक वृद्धि की संभावनाओं का भी अलग से परीक्षण किया जावे।

3. वर्तमान में दो आवास आवंटन के प्रावधान को संशोधित कर जन हित में एक ईकाई को एक ही आवास आवंटन का प्रावधान लागू किया जाये तथा वर्ग विशेष हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजनाएं नहीं खोली जाएं जिससे सभी को समान रूप से समय पर आवास उपलब्ध हो सके।

4. मण्डल द्वारा स्वतंत्र आवास आवंटित करने की नीति को समाप्त कर भविष्य में बहुमंजिला आवासों का ही निर्माण किया जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव